

## नेतृत्व, शासन एवं नीति के सन्दर्भ में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के शालात्याग के कारणों का अध्ययन

जगमोहन सिंह\*

### सारांश (Abstract)

भारतीय संविधान का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययन कर रहे हैं। सरकार ने निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर अद्भुत कार्य किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और नामांकित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद परिषदीय विद्यालयों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के शालात्याग की दर एक विकराल समस्या बनी हुई है। प्रस्तुत शोध में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नियन्त्रणाधीन संचालित जनपद कासगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के शालात्याग के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही उक्त विद्यालयों में बालिकाओं के शालात्याग को रोकने के नवाचारी एवं प्रभावी सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में जनपद कासगंज के समस्त 7 विकास क्षेत्रों में से यादरच्छिक प्रतिदर्शन विधि से एक विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा का चयन कर शोध न्यादर्श तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत 90 बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सहायता से स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। विद्यालयों की शालात्यागी बालिकाओं में से किसी ने भी विद्यालयों की स्थिति व संसाधनों के अभाव को बालिकाओं के शालात्याग के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। पारिवारिक वातावरण से सम्बंधित कारणों में से केवल परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य ठीक न होना ही बालिकाओं के शालात्याग का कारण नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त सभी कारणों जैसे -घरेलू कार्यों में मदद, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, माता-पिता से सहयोग की कमी आदि सभी पारिवारिक कारणों का बालिकाओं के शालात्याग पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला।

### प्रस्तावना (Introduction):

किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय स्कूल विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शालात्याग नीति निर्माताओं और शिक्षकों के लिए चिंता का विषय रहा है। शालात्याग चिंता का कारण है, क्योंकि वह विद्यार्थियों की विद्यमान संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। शालात्याग अक्सर सामाजिक-आर्थिक कारकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच की कमी से जुड़ा होता है। समाज पर शालात्याग का परिणाम कम शिक्षित कार्यबल और कम उत्पादकता के रूप में प्राप्त होता है जिसका आर्थिक वृद्धि और विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। स्कूल छोड़ना अलगाव की एक प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे प्रारम्भ होती है। स्कूल छोड़ने का निर्णय आम तौर पर एक तात्कालिक घटना नहीं है (फिन.1993) अलगाव के संकेतक (जैसे-कम उपस्थिति) और असफल स्कूल अनुभव (जैसे-शैक्षणिक या व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ) के साथ-साथ अलगाव की भावना, अपनेपन की भावना का ना होना और स्कूल के प्रति सामान्य नापसंदगी, अंततः स्कूल छोड़ने की ओर ले जा सकती है। ब्रिटिश शासनकाल में गठित हर्टांग समिति (1929) ने भी प्राथमिक स्तर पर

अपव्यय तथा अवरोधन समस्या पर दिए अपने प्रतिवेदन में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पर किया गया फिजूल खर्च तथा छात्र-छात्राओं के एक ही कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण हो जाने को अवरोधन मानकर उनके कारणों की पहचान की थी। वर्तमान नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की संख्या कम करने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्य रूप से दो पहल किये जाने की सिफारिश करती है जिसमें पहला कार्य है विद्यालयों में प्रभावी एवं बुनियादी ढांचा प्रदान करना जिससे सभी विद्यार्थियों को प्री -प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित एवं आकर्षक शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरा कार्य है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो इसके लिए सभी बच्चों की ध्यानपूर्वक ट्रेकिंग अनिवार्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे विद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं। मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ स्कूल बनाकर बालिकाओं और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा बालिकाओं

\*प्रवक्ता- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरचंदपुर कलां एटा।

### How to cite this article:

Singh, J. (2025). नेतृत्व, शासन एवं नीति के सन्दर्भ में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के शालात्याग के कारणों का अध्ययन. *DIET - Multidisciplinary Research Journal (DIET-MRJ)*, 1(2), 54-58.

का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने हेतु कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं मिशन शक्ति जैसी अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कासगंज जनपद का नाम पिछड़े जनपदों में सम्मिलित है जहाँ बच्चों की शिक्षा तक पहुँच आसान नहीं है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का विद्यालयों में नामांकन का पूर्ण प्रयास किया जाता है और बच्चों के स्कूल में ठहराव के लिए शासन और विद्यालय के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, बावजूद इसके शालात्याग हो रहा है। शोधकर्ता के संज्ञान अनुसार पूर्व में कासगंज जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में शालात्याग के कारणों के विषय में कोई अध्ययन नहीं हुआ है। शालात्याग से संबंधित जो भी अध्ययन हुए वो देश के अलग-अलग क्षेत्रों व अलग भौगोलिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में हुए हैं जिस कारण पूर्व में किए गए शोध कार्यों के परिणामों के आधार पर जनपद कासगंज में उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शालात्याग के कारणों का सटीक अनुमान लगा पाना संभव नहीं है क्योंकि जनपद कासगंज की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ की सांस्कृतिक व राजनैतिक परिस्थितियाँ पूर्व में जहाँ इस प्रकार के शोध हुए हैं वहाँ की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती हैं। यहाँ के विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं में भी भिन्नता है इसलिए जनपद कासगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में शालात्याग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए इस प्रकार के शोध कार्य की महती आवश्यकता है।

इन परिस्थितियों में, समस्या की भयावहता, समस्या में योगदान देने वाले कारकों और बच्चों द्वारा शालात्याग का कारण क्या है, इसकी पहचान करना प्रासंगिक है। समस्याओं की प्रकृति को समझकर ही उचित कदम उठाना संभव होगा। अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो, कासगंज जिला, जिसे पूरे राज्य में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है और यहाँ सार्वभौमिक शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कई गंभीर समस्याएँ हैं, जिनमें से शालात्याग एक प्रमुख कारण है। अतः अनुसंधान के लिए "उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के शालात्याग के कारणों का अध्ययन" का चयन किया गया है।

### शोध के उद्देश्य (Objectives):

- 1- विद्यालयों के संसाधनों के अभाव के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के शालात्याग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- 2- बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण के कारण उनके शालात्याग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

### शोध अध्ययन की विधि (Methodology):

प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

### जनसंख्या (Population):

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद कासगंज के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट (1-8) विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की ऐसी समस्त बालिकाएँ जिन्होंने एक बार विद्यालय में नामांकित होने के बाद उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त किए बिना शाला को त्याग किया है प्रस्तुत शोध की जनसंख्या है।

### शोध न्यादर्श (Research Sample):

न्यादर्श के रूप में जनपद कासगंज के समस्त 7 विकास क्षेत्रों में से यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि से एक विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा का चयन कर शोध न्यादर्श तैयार किया गया। जिसके अंतर्गत 90 बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया।

### शोध उपकरण (Research Tools):

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सहायता से स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया-

क्र सं	उपकरण	उद्देश्य
1	शालात्यागी बालिकाओं के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली	शालात्यागी बालिकाओं से उनके शालात्याग के कारणों से सम्बंधित आंकड़ों के संकलन हेतु।

### प्रदत्तों का विश्लेषण (Data Analysis):

प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों और प्रधानाध्यापकों से प्राप्त आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर प्रतिशत और मध्यमान निकालकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

### संश्लेषण एवं व्याख्या (Synthesis and Interpretation):

प्रस्तुत शोध हेतु निर्धारित किये गये उद्देश्यों की प्राप्ति अग्रलिखित प्रकार से हुई है -



### उद्देश्य 1: विद्यालयों के संसाधनों के अभाव के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं के शालात्याग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

जिन कारणों का मध्यमान 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें स्वीकृत एवं जिन कारणों का मध्यमान 50 प्रतिशत से कम है उन्हें अस्वीकृत किया गया है। विद्यालयों के संसाधनों के अभाव सम्बन्धी कारणों का बालिकाओं के शालात्याग पर प्रभाव नहीं पाया गया।

### शालात्याग के विद्यालय संबंधी कारणों का शालात्यागी बालिकाओं के अनुसार विश्लेषण (N=90)

क्र सं	कारण	मध्यमान प्रतिशत
1	अपर्याप्त स्कूल भवन और भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव	20%
2	अपर्याप्त Audio/ Visual सहायता का अभाव	27.78%
3	महिला शिक्षक का अभाव	22.22%
4	विद्यालय में साफ-सफाई का अभाव	10%
5	शिक्षक दण्ड का भय	8.89%

6	सहपाठियों का उचित व्यवहार न होना	16.67%
---	----------------------------------	--------



विद्यालयों की शालात्यागी बालिकाओं में से किसी ने भी विद्यालयों की स्थिति व संसाधनों के अभाव को बालिकाओं के शालात्याग के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नियंत्रणाधीन संचालित उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों (कक्षा 01 से 08) में भौतिक ढांचा मजबूत करने के लिए कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विद्यालयों के भौतिक संसाधनों को 19 पैरामीटर्स में विभाजित कर प्रत्येक विद्यालय में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस कायाकल्प अभियान से परिषदीय विद्यालयों का भौतिक ढांचा मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कायाकल्प अभियान रूपी पहल का विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

## उद्देश्य 2: बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण के कारण उनके शालात्याग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

जिन कारणों का मध्यमान 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें स्वीकृत एवं जिन कारणों का मध्यमान 50 प्रतिशत से कम है उन्हें अस्वीकृत किया गया है। बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण से सम्बंधित कारणों का प्रभाव बालिकाओं के शालात्याग पर पाया गया।

### शालात्याग के पारिवारिक कारणों का शालात्यागी बालिकाओं के अनुसार विश्लेषण (N=90)

क्र सं	कारण	मध्यमान प्रतिशत
1	घरेलू कार्यों में मदद के	84.44%
2	परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य सही न होने के	42.22%
3	छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के	74.44%
4	माता-पिता से सहयोग की कमी के	77.78%

विद्यालयों की शालात्यागी बालिकाओं ने पारिवारिक वातावरण से सम्बंधित कारणों को बालिकाओं के शालात्याग के कारण के रूप में स्वीकार किया है। पारिवारिक वातावरण से सम्बंधित कारणों में से मात्र परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य ठीक न होना, कारण का बालिकाओं के शालात्याग पर प्रभाव नहीं पाया गया इसके अतिरिक्त सभी कारणों जैसे -घरेलू कार्यों में मदद, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, माता-पिता से सहयोग की कमी आदि सभी पारिवारिक कारणों का बालिकाओं के शालात्याग पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला।

### शैक्षिक निहितार्थ (Educational Implications):

#### 1. नीति निर्माताओं एवं शिक्षा प्रशासकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

जनपद कासगंज के परिषदीय विद्यालयों में नामांकन, ठहराव एवं शालात्याग की वस्तुस्थिति एवं विद्यार्थियों के शालात्याग के कारणों की जानकारी प्राप्त कर शिक्षा प्रशासक अपनी योजनाओं एवं नीतियों में परिवर्तन कर शैक्षिक प्रक्रिया का सुचारू संचालन कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध के परिणामों से शिक्षा प्रशासक शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श एवं शैक्षिक नीतियों और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से शैक्षिक नीतियों में सुधारकर उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

#### 2. शिक्षकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षक प्रस्तुत शोध के परिणामों से अवगत होकर बालिकाओं के नामांकन शालात्याग एवं शालात्याग के कारणों से जुड़े पहलुओं के प्रति अपनी भूमिका को समझ सकेंगे। शिक्षक बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को बढ़ाने और उनके शालात्याग को कम करने के लिए विद्यालय स्तर पर अधिक प्रभावी योजनाओं का निर्माण कर पायेंगे। प्रस्तुत शोध के परिणामों से विदित है कि बालिकाओं के शालात्याग के अधिकांश कारण उनके अभिभावकों की गरीबी और अशिक्षा से जुड़े हुए हैं ऐसे में शिक्षक उनके अभिभावकों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो बालिकाओं के

शालात्याग को रोकने में प्रभावी सिद्ध हो सकती है। शिक्षक अभिभावकों की आवश्यकताओं और उनके मनोभावों को समझकर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं।

### 3. विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के परिणामों से अवगत होकर विद्यार्थी अपनी शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं को पहचान कर उनसे बचने के उपाय कर पायेंगे। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी समय सारणी का निर्माण कर पाएंगे, जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने एवं उनके शालात्याग की संभावनाओं को कम करने में प्रभावी सिद्ध होगा। प्रस्तुत शोध के परिणाम विद्यार्थियों को घरेलू कार्यों एवं विद्यालय के समय के बीच सामंजस्य बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

### 4. अभिभावकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम से अभिभावक अपने पाल्यों की शिक्षा के प्रति अपनी भूमिका एवं पाल्यों की प्रमुख शैक्षिक बाधाओं को समझ पायेंगे। प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष अभिभावकों को यह सुझाव दे सकते हैं कि उनकी जागरूकता एवं शिक्षा के महत्व की समझ और शिक्षा के प्रति रूचि उनके बच्चों के शालात्याग को रोकने और उनका सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम से अभिभावक बच्चों का नामांकन बढ़ाने और उनके शालात्याग को रोकने में अपनी भूमिका से अवगत हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नियंत्रणाधीन संचालित उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) में अध्ययनरत बालिकाओं में शालात्याग एक अत्यंत गम्भीर समस्या है। इस समस्या का समाधान बालिकाओं के शालात्याग के कारणों को कम करके किया जा सकता है क्योंकि शालात्याग के कारणों के समाप्त होते ही शालात्याग स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। इसके लिए अग्रलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं –

1. जिस ग्राम पंचायत में शालात्याग शून्य हो उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, विद्यालय की S.M.C. के सदस्यों एवं शिक्षकों को उचित मंचों पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाये एवं उक्त प्रमाण पत्रों का शिक्षकों के स्थानान्तरण, अतिरिक्त वेतनवृद्धि इत्यादि में भारांक प्रदान किया जाये। जिससे अन्य विद्यालय एवं ग्राम पंचायत भी प्रेरित होकर विद्यार्थियों के शालात्याग को कम करने की दिशा में कार्य कर सकें।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मीना मंच के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
3. ऐसे अभिभावक जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर और जागरूक करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से अभियान चलाकर निरक्षर अभिभावकों को साक्षर और जागरूक करने के प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि शोध क्षेत्र की शालात्यागी बालिकाओं की 86.67 प्रतिशत माताएं एवं 68.89 प्रतिशत

पिता निरक्षर हैं इस प्रकार अभिभावकों की निरक्षरता बालिकाओं के शालात्याग के एक बड़े कारण के रूप में उभर कर आई है।

4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय तथा ऐसी बालिकाएं जिनकी उपस्थिति विद्यालयों में अति न्यून हैं उनको चिह्नित कर बालिकाओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कराकर उनका प्रवेश कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कराया जाना चाहिए।
5. ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्यार्थियों का शालात्याग अधिक है वहाँ परिषदीय विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
6. विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा एवं विषय के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके साथ ही अभिभावकों के साथ शिक्षकों का उचित संवाद स्थापित हो सके। प्रस्तुत शोध के न्यादर्श क्षेत्र के 62 विद्यालयों की 186 कक्षाओं के सापेक्ष मात्र 109 शिक्षक/अनुदेशक नियुक्त है जो कक्षाओं के सापेक्ष शिक्षकों की कमी को इंगित करता है।
7. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम एक महिला शिक्षक अवश्य तैनात की जानी चाहिए।
8. ऐसे क्षेत्र जहाँ ईट भट्टों एवं ऐसे उद्योगों की संख्या अधिक हैं जहाँ श्रमिक वर्ग कार्य करता है वहाँ श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
9. उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में स्थानीय कुटीर उद्योगों से सम्बंधित व्यवसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये जिससे विद्यार्थी विधिवत व्यवसायिक शिक्षा लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हो सकें अथवा स्थानीय उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकें। शोध क्षेत्र की बहुत सारी बालिकाओं ने स्थानीय कुटीर उद्योगों में कार्य करने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, ऐसे में जब उन्हें उक्त उद्योगों से सम्बंधित व्यवसायिक शिक्षा विद्यालयों में मिलेगी तो वह पढ़ाई की ओर आकर्षित हो सकेंगी।
10. शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने हेतु प्रभावी नीति बनाई जाना चाहिए, इसके लिए ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 150 से अधिक है उन विद्यालयों में एक लिपिक /कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जानी चाहिए।
11. परिषदीय विद्यालयों में भौतिक संसाधनों को उच्चकोटि का बनाया जाना चाहिए एवं साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त सफाई कर्मचारी का वेतन तभी आहरित किया जाय जब सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक सम्बंधित कर्मचारी द्वारा विद्यालय में नियमित साफ-सफाई करने सम्बन्धी संस्तुति कर दें।
12. बाल विवाह और बाल श्रम को रोकने हेतु सख्त कानून लागू किये जाने चाहिए।
13. विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक अभिभावक बैठकों को संगठित रूप प्रदान कर अधिक क्रियाशील एवं

व्यवहारिक बनाया जाय जिससे विद्यालयों को समुदाय का प्रभावी सहयोग सुनिश्चित हो सके |

### निष्कर्ष (Conclusion):

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का शालात्याग एक बहुआयामी समस्या है | इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय, सरकार, शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों के सयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है | इन सबके समग्र दृष्टिकोण और समन्वित प्रयास से ही इस समस्या का समाधान संभव है | इस प्रकार बालिकाओं के भविष्य को सुनिश्चित कर समाज के समग्र विकास में योगदान दिया जा सकता है |

### सन्दर्भ सूची (References):

- ASER Centre. (2022). *Annual status of education report (ASER) 2022*.
- Pratham Education Foundation. (2022). *Annual status of education report (ASER) 2022*.
- Alam, M. M., & Hoque, M. N. (2022). Personal, social and cultural perspectives on female secondary school dropouts in Bangladesh: An investigation of Pabna district. *South Asian Journal of Social Studies and Humanities*, 3(1), 73-93.
- Gahzi, S. R., Rahman, S., & others. (2011). Socio-economic factors as a cause of children's dropout at the primary level. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2(3), 53-60.
- Goyal, R. (2022). *A study of dropout students at the upper primary level in schools of Eastern Rajasthan* (Doctoral dissertation). Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. Shodhganga.
- Kasganj District Administration. (n.d.). *Official website of Kasganj district*.
- Farwis, M. (2020). Analysis of school dropout among secondary school students: A case study of Sammanthurai education zone. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 4(12), 1-7.
- Pillai, J. T. (2019). Pune jile mein school chhodne wale bachchon ko prabhavit karne wale karakon ka ek khojparak adhyayan. *Indian Journal of Science*, 12(36), 1-10.
- Şahin, S., & Arseven, Z. (2016). Causes of student absenteeism and dropouts. *International Journal of Instruction*, 9(1), 195-210.
- Ministry of Education, Government of India. (2022). *Unified District Information System for Education (UDISE+) 2021-22 report*.